

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 52/2022

प्रार्थी –

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. पारसमल पुत्र रिखबदास जाति  
जैन निवासी एलआईसी ऑफिस  
रोड बाड़मेर (मैसर्स मालू एण्ड संस  
बाड़मेर हरीजन बस्ती चौहटन,  
बाड़मेर का मालिक)
2. लाल चन्द अमृत लाल पांचीवाल  
प्रोप्राईटर ऑफ मैसर्स तास्वी  
मार्केटिंग एण्ड डेयरी प्रोजेक्ट रेलवे  
स्टेशन रोड डीसा गुजरात

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा  
एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.06.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप  
धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,  
2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान  
मैसर्स मालू एण्ड संस बाड़मेर हरीजन बस्ती चौहटन, बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक  
10.03.2022 को खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड परिवार (500 जार पैकिंग) जो अलग-अलग  
पैकिंग में रखा हुआ, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500-500  
एमएल के चार जार वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-1614 अंकित  
कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने  
हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त  
खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड परिवार (500 जार पैकिंग) का नमूना वास्ते जांच खाद्य



विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड परिवार (500 जार पैकिंग)** का नमूना असुरक्षित (**unsafe**) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई। इस पर अप्रार्थी द्वारा लिये गये खाद्य पदार्थ नमूने की निर्दिष्ट प्रयोगशाला से जांच करवाने की मांग की। निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला पूना द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड परिवार (500 जार पैकिंग)** का नमूना अवमानक (**Substandard**) पाया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।


2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधि अनुसार पूर्ण योग्यता नहीं रखता है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही अनाधिकृत है। लिहाजा परिवाद निरस्त किया जावे।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला पूना से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 1.06.2022 में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया। निर्दिष्ट प्रयोगशाला जांच में **BR Reading at 40° C** का मानक स्तर **40.0 to 43.5** के मुकाबले **54.4**, **Reichert Meissl Value** का मानक स्तर **Shall be mini 24.0 (Areas other than Cotton Tract) & min. 21.0 (Cotton Tract Areas)-for Gujrat Mfgd.** के मुकाबले **1.13** एवं **Test for the presence of foreign fat** का मानक स्तर **Shall be absent** के मुकाबले **Positive/Present** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के किसी भी स्तर पर खाद्य पदार्थ के नमूने के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उनके



व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के साथ-साथ विनियमों की पालना के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 पर रूपये 100000/- एवं अप्रार्थी संख्या 2 पर रूपये 300000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(राजेन्द्र सिंह चांदावत)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर